पेन्शन

1- पेंशन प्रपत्र के कुल कितने भाग है ?

उत्तर- पेंशन प्रपत्र में कुल 2 भाग है
प्रपत्र-1 के भाग-1 से भाग-5 निम्नवत् है:-
भाग-1 पेंशन/सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी/राशिकरण के लिये प्रार्थना पत्र ।
भाग-2 पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी के लिये प्रार्थना पत्र ।
भाग-3 प्रार्थी का विवरण।
भाग-4 सेवा का इतिहास।
भाग-5 कार्यालयाध्यक्ष के उपयोग हेतु ।

2- पेन्शन प्रपत्र कब और कौन उपलब्ध करायेगा ?

उत्तर- कार्यालयाध्यक्ष का दायित्व है कि सेवानिवृत्ति से 8 मास पूर्व सेवानिवृत होने वाले कार्मिक को पेन्शन प्रपत्र उपलब्ध करा दिये जाये।

3- पेन्शन प्रपत्र पूर्ण कर उसे किस प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाये ?

उत्तर- सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व सेवानिवृत्ति हो रहे कार्मिक को अपने पेन्शन प्रपत्र कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत कर देना चाहिये।

4- पेन्शन प्रपत्र कितने प्रतियों में प्रस्तुत किये जाने चाहिए ?

उत्तर- पेन्शन प्रपत्र 2 सेट में भर कर कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करने चाहिए। प्रदेश से बाहर के कोषागार से पेन्शन आहरण का विकल्प देने की दशा में पेन्शन प्रपत्र3 सेट में भरे जाने चाहिए।

5- पेन्शन प्रपत्र सेवानिवृत्ति से कितने माह पूर्व प्रस्तुत कर दिये जाने चाहिए ?

उत्तर- सेवानिवृत्ति हो रहे कार्मिक द्वारा पेन्शन प्रपत्र 6 माह पूर्व अपने कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत कर देने चाहिए।

6- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों हेतु पेन्शन प्रपत्र कौन से हैं?

उत्तर- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों हेतु पेंशन फार्म -3व 5, फार्म-A व D तथा फार्म-E है ।

7- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पेन्शन प्रपत्र कहॉ से अग्रसारित होते है?

उत्तर- भारतीय प्रशासनिक सेवा केअधिकारियों के प्रपत्र नियुक्ति विभाग उ0प्र0 शासन, पुलिस अधिकारियों के पेन्शन प्रपत्र गृह विभाग(पुलिस सेवायें)उ0प्र0 शासन तथा भारतीय वन सेवा केअधिकारियों के पेन्शन प्रपत्र वन विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा अग्रसारित किये जाते हैं।

8- पेन्शन की गणना किस आधार पर की जाती है ?

उत्तर- दिनांक 01/01/2006 से पूर्व सेवा निवृत्त कार्मिकों की पेन्शन की गणना अन्तिम10 माह के औसत वेतन तथा 1/1/2006 के पश्चात अन्तिम दस माह के औसत वेतन या अन्तिम माह के वेतन (जो भी लाभ प्रद हो) के आधार पर की जाती है।

9- कितने वर्षो की अर्हकारी सेवा पर सेवानिवृत्ति कार्मिक को पूर्ण पेन्शन प्राप्त होती है ?

उत्तर- दिनांक 01/01/2006 से पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिको के संबंध में एवं दिनांक 1/1/2006 से दिनांक 08/12/2008 मध्य सेवा निवृत्त कार्मिकों को 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर तथा दिनांक 8/12/2008 के पश्चात सेवानिवृत्ति कार्मिकों के सन्दर्भ में 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर पूर्ण पेन्शन देय हो जाती है।

10- पेन्शन अन्तिम 10 माह के औसत वेतन/अन्तिम वेतन दोनों में से किस आधार पर देय होगी ?

उत्तर- दिनांक 1/1/2006 के पश्चात दस माह के औसत वेतन परिलब्धियों अन्तिम वेतन जो भी लाभप्रद हो, के आधार पर पेन्शन की गणना की जाती है।

11- पेन्शन पर मंहगाई राहत देय हैअथवा नही ?

उत्तर- पेन्शन पर मंहगाई राहत देय होती है।

12- दो पेन्शन प्राप्त होने की स्थिति में मंहगाई राहत किस प्रकार अनुमन्य होगी ?

उत्तर- दो पेन्शन प्राप्त होने पर मंहगाई राहत दोनों के योग पर प्राप्त होगी।

13- अनन्तिम पेन्शन किस प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी ?

उत्तर- अनन्तिम पेन्शन की स्वीकृति कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की जाती है।

14- अनन्तिम पेन्शन किस स्थिति में अनुमन्य होगी ?

उत्तर- सेवानिवृत्त कार्मिक के विरूद्ध विभागीय /न्यायिक अथवा प्रशासनाधिकरण की जॉच प्रचलित रहने की दशा में अनन्तिम पेन्शन का भुगतान प्राधिकृत किया जाता है।

15- पेन्शन किस तिथि से देय होगी ?

उत्तर- सेवानिवृत्ति की तिथि के अगले दिन से पेन्शन देय होगी।

16- पेन्शन कितने वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा के आधार पर देय होगी ?

उत्तर- पेन्शन की अनुमन्यता हेतु 10 वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा का होना आवश्यक है।

17- क्या पेन्शन की स्वीकृति हेतु स्थायी होना आवश्यक है ?

उत्तर- पेन्शन कीस्वीकृति हेतु स्थायी होने की अनिवार्यता समाप्त की जा चुकी है।

18- पेन्शन हेतु किस प्रकार की सेवा को अर्हकारी सेवा माना जाता है ?

उत्तर- नियमित पेन्शनेबुल अधिष्ठान में की गयी सेवा को पेन्शन प्रयोज्य माना जाता है।

19- बाल्य सेवा पेन्शन आगणन हेतु शामिल की जायेगी अथवा नही ?

उत्तर- नियमित अधिष्ठान में 20 वर्ष की आयु से पूर्व की गयी सेवा को बाल्य सेवा माना जाता है जिसे पेन्शन प्रयोजन हेतु गणना में शामिल नही किया जाता है।

20- स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु आवेदन कब किया जा सकता है?

उत्तर- कोई सरकारी जिसने 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो या जिसकी 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण हो गई हो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है।

21- स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु किसे आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा ?

उत्तर- स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

22- स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु आवेदन कितने समय पूर्व करना चाहिए ?

उत्तर- स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने के लिए ऐसी तिथि से 3 माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत कर देना चाहिए।

23- पेन्शन की न्यूनतम एवं अधिकतम धनराशि क्या है?

उत्तर- दिनांक-01/01/2006 से पूर्व पेंन्शन की न्यूनतम एवं अधिकतम धनराशि निम्नवत है:-

1/1/86 से न्यूनतम रू0-450 तथा अधिकतम पेन्शन रू0-2000/-

1/1/96 से न्यूनतम रू0-1250 तथा अधिकतम रू0-13000/-

1/1/06 से न्यूनतम रू0-3500 तथा अधिकतम रू0-40,000/-

24- यदि कोई व्यक्ति दो पेन्शन पा रहा है तो पेन्शन की न्यूनतम धनराशि किस प्रकार निर्धारित होगी?

उत्तर- यदि कोई व्यक्ति दो पेन्शन प्राप्त कर रहा हो तो दोनों पेन्शन के योग की धनराशि न्यूनतम से कम होने पर न्यूनतम धनराशि की सीमा तक बढा दी जाएगी।

25- पेंशन एवं उपादान पर ब्याज की देयता कब होती है?

उत्तर- चूँकि पेंशन के स्थान पर अनन्तिम पेंशन तत्काल दिये जाने की व्यवस्था शासनादेश दिनांक 28/10/1980 में कर दी गई है अत: पेंशन पर साधारणतया ब्याज की देयता नही होती परन्तु अनन्तिम पेंशन स्वीकृत न होने पर पेंशन पर माननीय न्यायालय के आदेश पर कतिपय प्रकरणों में ब्याज का भुगतान किया जाता है। उपादान का भुगतान यदि मृत्यु या सेवानिवृत्ति के 3 माह बाद किया जाता है तो ब्याज देय होता है।

26- ब्याज किस प्रकार आगणित होता है?

उत्तर- पेंशन पर ब्याज मासिक पेंशन के आधार पर माह वार साधारण वार्षिक ब्याज की दर से आगणित होता है।

27- पेंशन एवं उपादान के बिलम्ब से भुगतान पर देय ब्याज की दर क्या होगी ?

उत्तर- पेंशन एवं उपादान पर बार्षिक ब्याज की दर उस अवधि के लिये सामान्य भविष्य निर्वाह निधि पर देय ब्याज के बराबर होती है।

28- पेंशन एवं उपादान पर ब्याज किस स्तर से स्वीकृत किया जाता है?

उत्तर- पेंशन एवं उपादान पर ब्याज शासन स्तर पर पेंशनर के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से प्राधिकृत किया जाता है।

29- पेंशनर द्वारा पेंशन प्रकरण संबंधी शिकायत किस प्रकार दर्ज की जायेगी ?

उत्तर- पेंशनर द्वारा पेंशन निदेशालय की वेबासाइट पर शिकायत प्रकोष्ठ हाइपरलिंक के माध्यम से उपलब्ध शिकायत प्रार्थना पत्र पर दर्ज की जायेगी।

30- उक्त शिकायत पर कार्यवाही की प्रगति किस प्रकार ज्ञात होगा?

उत्तर- शिकायत पर कार्यवाही की प्रगति हेतु सूचना शिकायत संबंधी हाइपरलिंक में शिकायत संबंधी प्रगति में प्राप्त की जा सकती है।

31- शिकायत का उत्तर कैसे प्राप्त होगा ?

उत्तर- शिकायत का उत्तर वेबसाइट पर शिकायत संबंधी हारपरलिंक के बिन्दु-3 पर शिकायत पर कृत कार्यवाही हाइपरलिंक से उपलब्ध होगी।

32- नियमित पेंशन कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ?

उत्तर- पेंशनर द्वारा अपनी पेंशन का आहरण प्रदेश के अन्दर किसी भी कोषागार से किया जा सकता है। प्रदेश के बाहर अन्य राज्य के किसी कोषागार के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने की भी सुविधा है, पेंशनर के अनुरोध पर पेंशन का स्थानान्तरण महालेखाकार के माध्यम से अन्य राज्य के कोषागार को किया जा सकता है।

33- नव परिभाषित पेंशन योजना क्या है ?

उत्तर- राज्य सरकारी सेवा में और राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्यशासी संस्थाओं/राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में 01/04/2005 से नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत वेतन एवं महगाई भत्ते के 10% के समतुल्य धनराशि का मासिक अशंदान कार्मिक द्वारा किया जायेगा, तथा इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित स्वायत्यशासी संस्था/शिक्षण संस्थान द्वारा किया जायेगा। अंशदान तथाउसके निवेश से होने वाली आय को एक खाते में जमा किया जायेगा। सेवानिवृत्ति के समय कर्मिक से अपेक्षा की जायेगी कि वह अपने पेंशन खाते की 40% धनराशि से किसी मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनी से पालिसी क्रय करें जिससे वह सेवानिवृत्ति पर अपने जीवन काल तथा यदि चाहे तो बाद में अपने आश्रितों के लिये पेंशन की व्यवस्था कर सके। शेष सम्पत्ति का भुगतान कर्मचारी द्वारा एक मुश्त प्राप्त किया जायेगा।